पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के अधीन कृषक किस्म के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

[धारा 18 की उपधारा (1) देखिए]

(आवेदक के लिए अनुदेशः जहां कहीं प्रश्नों के सामने बॉक्स बना हो वहां कृपया सुसंगत बॉक्स पर सही का चिह्न लगांए तथा अन्य प्रश्नों में स्पष्ट लिखित/टंकित उत्तर दें।)

1. आवेदकों का पहचानः

कृषक ☐
कृषक का समुदाय ☐
कृषक का समूह ☐

टिप्पण – पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 में यथा अंतर्विष्ट कृषकों या कृषकों का समुदाय या कृषकों का समूह द्वारा कृषकों की किस्म के लिए आवेदन या तो संबद्ध पंचायत जैव विविधता प्रबंध समिति या जिला कृषि अधिकारी या संबद्ध राज्य कृषि विश्वविद्यालय या जिला जनजाति विकास अधिकारी द्वारा उपाबंध 1 में पृष्ठांकन के साथ ही प्रस्तुत किया जाएगा।

2. आवेदक (आवेदकों) का/के नाम

[यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त पंक्तियां डालें]

1. क्रम संख्या
2. नाम
3. पूरा पता
4. राष्ट्रीयता

2 (क) कारोबार का मुख्य स्थान या आवेदक का अधिवासः

.....

.....

3. उस व्यक्ति का नाम और पता जिसे इस आवेदन से संबधित पत्र भेजे जाने है (यदि आवश्यक हो, तो प्ररूप पीवी–1 में प्राधिकार संलग्न करें)

नाम :.....
पता : .....
पिन : .....
दूरभाष : .....
फैक्स : .....
ई–मेल : .....

4. किस्म की साधारण जानकारी :

क. फसल का सामान्य नाम : .....

ख. वानस्पतीय नाम : .....

ग. कुल : .....

घ. अभिधान (बड़े अक्षरों में)

टिप्पण : वानस्पतीय नाम से अंतराष्ट्रीय कृष्ट पौधा नामकरण संहिता, 2004 द्वारा अनुमोदित वैज्ञानिक नाम अभिप्रेत है।

5. (क) अभ्यर्थी किस्म का वर्गीकरण :

अन्य (विनिर्दिष्ट कीजिए)

टिप्पण : प्रारूपिक किस्म से ऐसी किस्म अभिप्रेत है जो संकर नहीं है या अनिवार्यतः व्युत्पन्न किस्म नहीं है और पूर्व फसल उत्पादन चक्रों से व्यावृत्त प्रपर्धों करके सामान्यतया प्रवर्धित की जाती है। (उदाहरणार्थ : जिसके अंतगर्त पैतृक परंपरा, समिश्रित किस्में या वानस्पतिक प्रवर्धित किस्में भी है।)

6. कृषक/कृषकों के नाम और पते जिसने/जिन्होंने अभ्यर्थी किस्म को प्रजनित किया है।

नाम :.....
पता : .....
दूरभाष : .....
फैक्स : .....

ई–मेल : .....

राष्ट्रीयता : .....

टिप्पण : एक से अधिक प्रजनकों की दशा में, उपरोक्त प्रपत्र में सभी प्रपत्र में सभी नामों का (ii), (iii) इत्यादि के रूप में उल्लेख कीजिए। यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाएं। यदि कृषकों के समूह द्वारा किस्म विकसित और बनाई रखी, जाती है तो यह उपाबंध–1 में पृष्ठांकित होगी।

7. क्या अभ्यर्थी किस्म का वाणिज्यिक उपयोग किया गया है या अन्यथा उसका समुपयोग किया गया है।

हां नहीं

यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित बताएं :
किस्म के प्रथम विक्रय की तारीख : .....
यह देश जहां संरक्षण किया गया है (यदि कोई हो) : .....
प्रथम फाइल करने की बाबत महत्वपूर्ण लक्षण में भिन्नता : (अलग से पनना लगाएं)
प्रयुक्त अभिधान : .....
प्रयुक्त व्यापार चिह्न, यदि कोई हो : .....
मैं/हम..... घोषित करता हूं/करते हैं कि प्रजनन, विकास या किस्म के विकास के लिए आनुवांशिक सामग्री या मूल सामग्री विविपूर्वक अर्जित की गई है।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्नक (सभ्यक रूप से हस्ताक्षरित ओर महुर सहित) प्रस्तुत है :

(ध्यान दीजिए कि जहां कहीं हस्ताक्षर आवेदन या संलग्नक में किए गए हैं वहां ऐसे सब हस्ताक्षर मूल रूप से होंगे):–

(क) पूरा आवेदन :

(ख) कृषक किस्म की दशा में उपाबंध 1 में पृष्ठांकन (यदि लागू हो तो स्तंभ 1 के अनुसार)

उपाबंध – 1

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के अधीन कृषक किस्म के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का पृष्ठांकन

1. आवेदक कृषक/कृषक समूह/कृषक समुदाय का/के नाम

क्रम सं.	उपनात सहित नाम/समूह का नाम/ समुदाय का नाम	स्थायी पता

2. किस्म का अभिधान : .....

3 क (व्याष्टिक कृषक आवेदक को लागू)

मैं घोषित करता हूं कि मैं ..... राज्य के .... जिसमें ..... स्थानीय निकाय/पंचायत के अंतर्गत आने वाने गांव .... में पिछले अनके वर्षो से स्थायी किसान रहा हूं और यह कि मैं और मेरा परिवार .... वानस्पतिक प्रजाति (फसल का सामान्य नाम) की ..... प्रकार के अंतर्गत ..... रूप में अभिधानित अभ्यर्थी किस्म के प्रारंभिक और अनन्य विकासकर्ता और सतत् संरक्षक है।

3 ख (आवेदक कृषकों के समूह/समुदाय को लागू)

हम घोषित करते है कि हम ..... राज्य के .... जिले में ..... स्थानीय निकाय/पंचायत के अंतर्गत आने वाने ..... गांव में पिछले अनके वर्षो से स्थायी किसान रहे हैं और यह कि हम वानस्पतिक प्रजाति के प्रकार (फसल का सामान्य नाम) के अंतर्गत .....रूप में अभिधानित अभ्यर्थी किस्म के प्रारंभिक और अनन्य विकासकर्ता और सतत् संरक्षक है। हम अपने समूह/समुदाय की ओर से श्री ..... पुत्र श्री ..... (नाम) को जो हमारे समूह/समुदाय का सदस्य है और ..... (पूरा डाक पता) का स्थायी निवासी है, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के अधीन अपने पक्ष में अभ्यर्थी किस्म का रजिस्ट्रीकरण करवाने के सीमित प्रयोजन के लिए अपनी ओर से आवश्यक कार्रवाई करने तथा हस्ताक्षर करने के लिए के लिए प्राधिकृत करते हैं।

तारीख .....
स्थान .....

हस्ताक्षर
कृषक का नाम
समूह/समुदाय का प्राधिकृत व्यक्ति
(पृष्ठांकन करने वाले पदाधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर किए जाए)

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त अभ्यर्थी किस्म आवेदक कृषक/कृषक समूह/कृषक समुदाय द्वारा ही, जो उपर्युक्त गांव के स्वामी निवासी हैं प्रजनित/विकसित और निरंतर संरक्षित है तथा केवल उसी की खेती की जाती है और में आवेदक कृषक/कृषक के समूह या समुदाय से पूरी तरह परिचित हूं तथा यह कि अभ्यर्थी किस्म उनके प्रयासों से ही है। (विकल्प के रूप में अंकित अवांछित शब्दों को काट दीजिए)

तारीख .....
स्थान .....

हस्ताक्षर.....
कृषक का नाम.....
(संबंधित पंचायत जैव विविधता प्रबंध समिति का अध्यक्ष/सचिव)
अथवा संबंधित जिला कृषि अधिकारी अथवा अनुसंधान निदेशक
/ संबंधित राज्य कृषि विश्वविद्यालय के विस्तारण का निदेशक अथवा
संबंधित जिला जनजातीय विकास कार्यालय / आंचलिक परियोजना निदेशक (आईसीएआर)
(कार्यालय खंड़ मुहर सहित)